बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

संख्या–04 / STA-P3-423/2013 परि0 1832 /पटना, दिनांक– 24/03/2014

विधि विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–9008 दिनांक–20.12.2013 के द्वारा बिहार राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना के समक्ष परिवहन विभाग, बिहार सरकार का पक्ष रखने हेतु श्री आलोक कुमार, अधिवक्ता एवं श्री हरीश कुमार, अधिवक्ता की नियुक्ति की गयी है । इस कार्य हेतु अधिवक्ता को रू0 1500/– (एक हजार पांच सौ रूपये) मात्र प्रति कार्य दिवस की दर से भुगतान करने का निदेश दिया गया है ।

2. विधि दिभाग से प्राप्त उक्त पत्र के आलोक में श्री आलोक कुमार, अधिवक्ता मोबाईल नं.–9386085735, पता–मकान सं0–202, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना एवं श्री हरीश कुमार, अधिवक्ता का मोबाईल नं.–9834514375, पता–बी.डी. पब्लिक स्कूल के बगल गली में, बुद्धा कॉलोनी, पटना बिहार राज्य परिवहन प्राधिकार एवं सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों का पक्ष बिहार राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना के समक्ष रखने हेतु प्राधिकृत किया जाता है ।

3. सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार अपने–अपने प्राधिकार से संबंधित बिहार राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर अपीलवादों में प्राधिकार का पक्ष रखने हेतु समरूप ढ़ंग से दोनों अधिवक्ताओं को वाद आवंटित करेंगे । साथ ही विधि विभाग द्वारा निर्धारित दर पर राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

24/3/14
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–04 / STA-P3-423/2013 परि0 1832 /पटना, दिनांक– 24/03/2014

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, बिहार, फ्लैट सं.–61 / 84, न्यू पुनाईचक, पटना/श्री हरीश कुमार, अधिवक्ता, बी0डी0 पब्लिक स्कुल के बगल की गली, बुद्धा कोलोनी, पटना/श्री आलोक कुमार, अधिवक्ता, मकान सं0–202 पाटलिपुत्रा कोलोनी, पटना/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/3/14
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–04 / STA-P3-423/2013 परि0 1832 /पटना, दिनांक– 24/03/2014

प्रतिलिपि : विधि परामर्शी–सह–सचिव, विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना को अवर सचिव, विधि विभाग के पत्रांक 9008 दिनांक 20.12.2013 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

24/3/14
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

R.J.V-152